अब फसल बीमा व आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य भी शामिल होगा आरटीएस में : गुप्ता

सीएससी सेंटर संचालकों को देनी होगी रसीद

जगमार्ग न्यूज

कुरुक्षेत्र। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को समय पर योजना का लाभ मिलेगा और लोगों के आयुष्मान कार्ड भी समय पर बनेंगे। इन दोनों सेवाओं को सेवा के अधिकार (आरटीएस) में शामिल किया जाएगा।

आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता गत देर सायं मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर के सभागार में लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने ओपन हाउस में सेवा के अधिकार में कुछ ओर जरूरी सेवाओं को जोड़ने के लिए लोगों के साथ सीधा संवाद किया और लोगों ने काफी अच्छे सुझाव भी दिए। इन सुझावों को मुख्य आयुक्त ने गंभीरता से लिया और कुछ सेवाओं को आरटीएस में शामिल करने के लिए कहा है। मुख्य आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को समय पर खराब फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए इस सेवा को आरटीएस में शामिल किया जाना जरूरी है। उन्होंने एक ओर सुझाव के आधार पर कहा कि आयुष्मान कार्ड का समय पर बनना जरूरी है। इस कार्ड से ही गरीब व्यक्ति को ईलाज करवाने में मदद मिलती है। इसलिए इस आयुष्मान कार्ड को निर्धारित समयावधि में बनवाने के लिए आरटीएस में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा समय समय पर लोगों से सुझाव लेकर आरटीएस सेवाओं में लगातार विस्तार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार व आस सॉफ्टवेयर के बारे में जल्द से जल्द और आम नागरिक को जागरूक किया जाना जरूरी है। इसके अलावा जिला के सभी सीएससी सेंटर संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाना भी जरूरी है। उन्होंने उपायुक्त मुकुल कुमार को आदेश दिए है कि सभी सीएससी संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाए और सभी सीएससी संचालकों को प्रार्थी को रसीद देना भी सुनिश्चित किया जाए।